परिणामी बजट वर्ष 2018-19

विभाग- समाज कल्याण विभाग

विभागाध्यक्ष संचालक,समाज कल्याण

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2018-19	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
1	सुखद सहारा योजना	गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 18 से 39 वर्ष आयु वर्ग के विधर तथा 16 वर्ष या अधिक आयु के परित्यक्ता महिलाओं को राशि 350 प्रतिमाह पंशन भुगतान की जाती है।	1041600	18 वर्ष या अधिक आयु की परित्यकता महिलाओं को 350 प्रतिमाह पेंशन	
2	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	राज्य शासन द्वारा गरीबी रेखा के नाचे जीवन यापन करने वाले परिवार के मूल निवासी को राशि रू. 350 पतिमाह पेशंन दी जाती है ।	3599000	6-17 आयु वष्र के नि:शक्त बच्चे अध्ययनरत 18 वर्ष या अधिक आयु के सामान्य नि:शक्त बौने व्यक्ति	
3	राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	योजना अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर परिवार के वारिस मुखिया को रूपये 20000/- एक मुश्त आर्थिक सहायता प्रदान कर्र जाती है ।	272500	20000 परिवारों को एकमुश्त आर्थिक सहायता हितग्राही-14000	
4	राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	योजना अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले 60-79 वर्ष से अधिक आयु वाले वृद्धों के लिए रूपये 350 प्रतिमाह तथा 80 व या अधिक आयु वाले के लिए रूपये 650 प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदाय	1811790	60-79 वर्ष एवं इससे अधिक आयु के 640000 हितग्राहियों को रू. 350/- प्रतिमाह तथा 80 वर्ष र अधिक आयु के हितग्राहियों को रू. 650/- प्रतिमाह की दर से पेंशन भुगतान हितग्राही 73000 । इसमें रूपये 100 राज्यांश समाजिक सुरक्षा पेंशन योजना र देय होता है।	
5	इंदिरागांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले 40 से 79 वर्ष तक के आयु वाली विधवा को रु 350/-प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदाय	604760	40 से 79 वर्ष आयु वर्ग वाली 130000 हितग्राहियों विधवा महिलाओं को 350/- प्रतिमाह पेंशन भुगतान किया जावेगा	
6	इंदिरागांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन	गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले 18	149470		

परिणामी बजट वर्ष 2018-19

विभाग- समाज कल्याण विभाग

विभागाध्यक्ष संचालक,समाज कल्याण

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2018-19	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
		से 79 वर्ष तक के आयु वाले गंभीर एवं बहु विकलांग व्यक्ति के लिये रू. 350/-प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदाय		18 से 79 वर्ष आयु वर्ग वाले 30000 गंभीर एवं बहु विकलांग हितग्राहियों को 350/- प्रतिमाह पेंशन भुगतान किया जावेगा	
7	नगरीय निकाय क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का बायोमेट्रीक से भुगतान हेतु अनुदान	पेंशन योजनाओं की पेंशन की राशि के भुगतान में पारदर्शिता लाने एवं समय में भुगतान सुनिश्चित करना ।	50000	नगर निगम राजनांदगांव, धमतरी, रायगढ़, भिलाई, बिलासपुर के पेंशन हितग्राहियों को पेंशन राशि भुगतान बायोमेट्रीक पद्धति से करने हेतु बैंकों को दिये जाने वाले सेवा शुल्क ।	
8	विकलांगों तथा अपंगों की सहायता के लिए योजना	(अ) छात्रवृत्तियां - नि:शक्त बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान कर उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करना ।	14200	11000 विकलांग छात्र-छात्राओं को प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदाय करना ।(प्राथमिक स्तर रू. 50, माध्यमिक स्त रू 60, उच्च स्तर रू 70, स्नातक स्तर रू 125 ए स्नातकात्तर स्तर रू 170 प्रति छात्र प्रतिमाह ।	
		(ब) स्वेच्छिक संस्थाओं को अनुदान -नि:शक्त कल्याण के क्षेत्र में संचालित स्वैच्छिक संस्थाअ को अनुदान जिसमें उनके शिक्षण, प्रशिक्षण , आवास एवं पुनर्वास की व्यवस्था		कुल 20 संस्थाओं को अनुदान देने का लक्ष्य है। भवन किराया कुल व्यय का 70 प्रतिशत एवं कार्यालय व्यय पर अधिकतम रू. 2000/- अंतवासी के भरण-पोषध हेतु रू. 600/- प्रति अंतवासी प्रतिमाह कर्मचारियों का वेतन/मानदेय	
		(स) नि:शक्त व्यक्तियों को विवाह हेतु रूपये 2100 प्रोत्साहन राशि दिया जाना		प्रतिवर्ष 250 नि:शक्त व्यक्तियों को रूपये 21000 प्रोत्साहन राशि प्रदान करना	
		(द) योजना अंतर्गत नि:शक्त व्यक्तियों को कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय करना		250 नि:शक्त व्यक्तियों को कृत्रिम अंग एवं उपकरण उपलब्ध कराना ।	
9	बिलासपुर में जिला पुनर्वास केन्द्र र्क स्थापना	नि:शक्त व्यक्तियों को प्रशिक्षण एवं पुनर्वास	23262	नि:शक्त व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना एवं पुनर्वास	

परिणामी बजट वर्ष 2018-19

विभाग- समाज कल्याण विभाग

विभागाध्यक्ष संचालक,समाज कल्याण

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2018-19	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
10	फिजिकल रिफरेल रिहबलीटेशन सेंटर की माना में स्थापना	अत्याधुनिक कृत्रिम अंग निर्माण केन्द्र की स्थापना	13527	500 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का प्रावधान है।	
11	विश्व विकलांग दिवस	विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर विकलांगों को प्रोत्साहित करने हेतु व्यक्तियों/संस्थाओं को पुरस्कार दिये जाने का प्रावधान	1400	सर्वोत्तम नि:शक्त व्यक्ति 5001/- सर्वोत्तम नियोक्ता (नि:शक्त वयक्तियों के संदर्भ में रूपये 10000/-) सर्वोत्तम स्वैच्छिक संस्था रूपये 5000/- सर्वोत्तम जिला-शिल्ड	
12	प्रमस्तिष्क अंगाघात नि:शक्तजनों हेतु उपचार एवं पुनर्वास संस्थान	प्रमस्तिष्क अंगाघात के नि:शक्तजनों को उपचार एवं पुनर्वास सेवाएं	8910	सेलेब्रल पाल्सी के नि:शक्तजनों को उपचार एवं पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध करायी जावेगी।	
13	प्रमाशक गृह की स्थापना	वृद्धावस्था के कारण गंभीर बीमारी (जैसे-डिमेशिया) एवं विस्तर पर पड़े व्यक्ति/अंतिम अवस्था में पहुँचे व्यक्तियों के देखभाल के लिए 50 विस्तर वाले प्रमाशक देखरेख गृह की व्यवस्था	4500	50 विस्तर वाले प्रमाशक गृह की स्थापना	
14	नि:शक्त सामर्थ्य विकास	ि:शिक्त सामर्थ्य विकास अंतर्गत शारिरिक रूप से नि:शक्त व्यक्ति को कृत्रिम अंग, सहायक उपकरण एवं ट्रायसायकल नि:शुल्क प्रदाय किया जाता है	26500	1398 हितग्राहियों को कृत्रिम अंग प्रदान करने का लक्ष्य	
15	स्थानीय स्तर समिति को सहायता	राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत जिलों में स्थानीय स्तर पर लोकल कमेटी का गठन	320	जिलों को रू. 20000 का अंशदान दिया जाता है	
16	दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थो के लिए शालाएं तथा संस्थाएं	बौद्धिक मंदता वाली बालिकाओं के लिए सरगुजा, नारायणपुर एवं बालकों हेतु बीजापुर, दृष्टि एवं श्रवण बाधित बालक/बालिकाओं के	231489		

परिणामी बजट वर्ष 2018-19

विभाग- समाज कल्याण विभाग

विभागाध्यक्ष संचालक,समाज कल्याण

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2018-19	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
		लिए दंतेवाड़ा तथा श्रवण बाधित बालक/बालिकाओं के लिए विशेष विद्यालय जशपुरए राजनांदगांवए कोरियाए महासमुन्द, कांकेर में बच्चों को शिक्षा के माध्यम से स्वावलंबी बनाना।		450 बच्चों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था	
17	किशोर कल्याण निधि का गठन	किशोर न्याय अधि. 2000 के तहत किशोर कल्याण निधि से किशोरों के कल्याण, शिक्षण, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए आर्थिक सहायत उपलब्ध कराना	1000	100 किशोरों को पुनर्वास हेतु (प्रति किशोर 10000/-) आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जावेगी ।	
18	राष्ट्रीय पुनर्वास कार्यक्रम नि:शक्तजन	ग्रामीण क्षेत्र के नि:शक्त व्यक्तियों को उनके निवास तक सेवाएं व संसाधन उपलब्ध कराना	18390	1390 कृत्रिम अंग उपकरण (व्हील चेयर, ट्रायसकल का वितरण) 4103 सामाजिक सुरक्षा पेंशन (नि:शक्त) 875 छात्रवृत्ति (नि:शक्त) स्वावलंबन केन्द्र की स्थापना	
19	समाज कल्याण महिला बाल कल्याण संस्थाओं को सहायता अनुदान	देखरेख की अपेक्षा रखने वाले बच्चों निराश्रित महिलाओं एवं भिक्षुओं का संरक्षण, शिक्षण, प्रशिक्षण, उपचार एवं पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है।	7000	**1.** प्रदेश के 250 देखरेख की आवश्यकता वालें बच्चों, निराश्रित महिलाओं एवं भिक्षुओं को लाभंवित करना। **2.** प्रदेश के भिक्षुकों का पुनर्वास **3.** विक्षिप्त महिलाओं हेतु आवास	
20	अंध, मूक एवं बधिर शालाओं को अनुदान (स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान)	नि:शक्त कल्याण के क्षेत्र में संचालित स्वैच्छिव संस्थाओं को अनुदान जिसमें उनके शिक्षण प्रशिक्षण, आवास व पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है ।	16700	20 स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान । अत:वासी बच्चों के भरण-पोषण हेतु रूपये 600/-प्रति हितग्राही प्रतिमाह भवन किराया कुल व्यय का 70 प्रतिशत एवं कार्यालय व्यय पर अधिकतम रूपये 2000 कर्मचारियों का वेतन/मानदेय	

परिणामी बजट वर्ष 2018-19

विभाग- समाज कल्याण विभाग

विभागाध्यक्ष संचालक,समाज कल्याण

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2018-19	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
21	उत्थान सब्सिडी योजना	नि:शक्त जनों को ऋण पर सब्सिडी	1400	100 हितग्राही को लाभान्वित करने का प्रावधान है ।	
22	अशासकीय संस्थाओं को अंग अनुदान (कृत्रिम अंग उपकरण)	नि:शक्त व्यक्तियों को कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय किये जाते है ।	3800	1500 नि:शक्त व्यक्तियों को कृत्रिम अंग एवं उपकरण उपलब्ध कराना	
23	वरिष्ठ नागरिक सहायता योजना	वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान, प्रचार-प्रसार एवं वृद्धाश्रम बहुसेवा केंद्र संचालन	31000	500 वरिष्ठ नागरिको को सम्मान, संरक्षण एवं सुरक्षा	
24	अंध, मूक और बधिरों के लिए शालाएँ (भवन निर्माण)	नि:शक्त कल्याण के क्षेत्र में संचालित शासकी संस्था के बाधा रहित भवन निर्माण	3000	बाधा रहित भवन तथा उद्यान निर्माण	
25	छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थ योजना	मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजनान्तर्गत छ.ग. के 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को उनके जीवनकाल में एकबार चयनित तीर्थ यात्रा सुलभ कराना ।	460000	80 प्रतिशत कितग्राही बी.पी.एल अंत्योदय एवं मुख्यमत्री खाद्यान्न योजना के कार्डधारी होंगे एवं 20 प्रतिशत हितग्राही गरीबी रेखा के ऊपर के ऐसे वरिष्ठ नागरिक होंगे, जो आयकर दाता न हो ।	
26	तृतीय लिंग समुदाय के पुनर्वास हेतु कार्यक्रम	तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड, पृथक से अधिनियम, वास्तविक आकड़ों के संबंध सर्वे, जनजागरूकत हेतु प्रचार-प्रसार, सम्मेलन, कार्यशाला इत्यादि कार्य किये जायेगें ।	5000	**1.** छत्तीसगढ़ तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड का गठन **2.** राज्य में तृतीय लिंग समुदाय के वास्तविक आकड़ों के संबंध में सर्वेक्षण । **3.** छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं न समन्वय **4.** छत्तीसगढ़ राज्य में तृतीय लिंग समुदाय के प्रति जनजागरण हेतु प्रचार-प्रसार	
27	बुजुर्गो को संरक्षण	बुजुर्गो के लिए माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 का सुदृढ़ीकरण एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए केन्द्रों की स्थापना	6500	100 हितग्राही को लाभान्वित करने का प्रावधान है ।	

परिणामी बजट वर्ष 2018–19

विभाग– समाज कल्याण विभाग

विभागाध्यक्ष संचालक,समाज कल्याण

राशि हजार₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2018–19	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
28	नि:शक्तता स्वाभिमान एवं संबंल याजना	नि:शक्त व्यक्तियों के लिए चिकित्सा कौशल उन्नयन, उद्ययमिता विकास एवं दीर्घ कालिक आर्थिक अधिकारिता विकसित करने हेतु आर्थिक सहायता	12000	100 हितग्राही को लाभान्वित करने का प्रावधान है ।	
29	अंधमूक बधिरों को वृत्तियां	नि:शक्त बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान कर उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करना।	16700	6000 विकलांग छात्र/छात्राओं को प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान करना	
30	नि:शक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना	नि:शक्त व्यक्तियों को शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान, बौद्धिक विकास को बढ़ावा, सामाजिक पुनर्वास आर्थिक स्वावलंबन को विकसित करना	3000	माध्यमिक परीक्षा (दसवीं) सर्वाधिक अंक 5000 एकमुश्त स्नातक/स्नातकोत्तर (कला वाणिज्य विज्ञान) न्युनतम 50 प्रतिशत अंक 6000 एकमुश्त चिकित्सकीय/तकनीकी/व्यवसायिक 50 प्रतिशत अंक 12000 एकमुश्त प्रदान की जाती है	
31	नि:शक्तजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना	नि:शक्त सिविल प्रोत्साहन योजना का क्रियान्वयन	3000	नि:शक्तजन सिविल सेवा के क्षेत्र में प्रेरित करने आर्थिक सहयोग प्रदान करना तथा समाज की मुख्यधारा में जोड़कर उनका सामाजिक पुनर्वास करना	
32	नि:शक्तजनों का प्रशिक्षण एवं ऑनलाईन पंजीयन	नि:शक्तजनों का शतप्रतिशत प्रमाणीकरण, पात्र नि:शक्तजनों का ऑनलाईन पंजीकरण यूनिक आई.डी. नम्बर प्रदान कर डाटाबेस तैयार करना एवं पर्यवेक्षण	10000	एस.एम.एस के माध्यम से आटो अलर्ट प्रेषित किया जाना	
33	नि:शक्त विद्यार्थी के लिये छात्रगृह योजना	नि:शक्त व्यक्तियों को उच्च शिक्षा हेतु सहायत एवं अध्ययन का अवसर	3000	40 प्रतिशत या उससे अधिक नि:शक्तजन शिक्षण संस्थन से आवेदक का मूल निवास की दूरी 20 कि.मी. से अधिक हो	
34	नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना	नि:शक्त व्यक्तियों के सामाजिक पुनर्वास एवं	30000		

परिणामी बजट वर्ष 2018-19

विभाग- **समाज कल्याण विभाग**

विभागाध्यक्ष **संचालक,समाज कल्याण**

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2018-19	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
		उन्हें स्वालंबी बनाने हेतु नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना 1 अप्रैल 2005 से लागू की गई है		18 वर्ष से 45 वर्ष तक महिलाएं 21 से 45 वर्ष पुरूष(नि:शक्त) के विवाह हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान करना	
35	भारतीय कृष्ठ निवारक संघ संस्था को अनुदान	भारतीय कुष्ठ निवारण संघ जांजगीर में स्वैच्छिक संस्था संचालित	1400	कुष्ठ मुक्त व्यक्तियों का पुनर्वास	
36	घरौंदा	राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य में 18 वर्ष से अधिक आयु के नि:शक्त व्यक्तियों को जीवन पर्यन्त आश्रय प्रदान करने हेतु घरौंदा योजना प्रारंभ किया गय है	20000	4 संभाग में नि:शुल्क आवासीय सुविधा प्रदान करना	
37	नशाबंदी कार्यक्रम	प्रदेश में नशामुक्ति के पक्ष में मादक द्रव्य एव नशीले पदार्थो के दुष्परिणामों के विरूद्ध जागरूगता विकसित किया जाना	7200	रैली, पोस्टर, हॉडिग्स, नाटक, गीत, नृत्य, प्रदर्शनी त शासकीय/अशासकीय कलाकारों सांस्कृतिक कार्यक्रम	
39	नि:शक्त कल्याण कोष का गठन	नि:शक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 88 की उपधारा(2) के अधिन नि:शक्त व्यक्तियो के लिए राज्य कोष का गठन किया जाना	2000	नि:शक्त व्यक्तियो के लिए राज्य कोष का गठन	